न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री भागीरथराम (आरएएस)
म्यूटेशन अपील संख्या:– 03/2022

तारीख दायरा:– 11.07.2022

अपीलान्ट:– 1. पोकरी पत्नी पेमाराम उर्फ प्रेमजी
2. योगेश पुत्र पेमाराम उर्फ प्रेमजी
जातिगण सिरवी निवासीगण डायलाना कलां तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट:– 1. सरपंच ग्राम पंचायत डायलाना कलां तहसील देसूरी
2. मांगीलाल पुत्र पीथा
3. भीमाराम पुत्र पीथा
4. हुलकी पुत्री पीथा
जातिगण सिरवी निवासीगण डायलाना कलां तहसील देसूरी
5. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)राजस्थान सरकार जिला–पाली (राज.)

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा ,75, राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1212 स्वीकृत दिनांक 20.12.2018 द्वारा ग्राम पंचायत डायलाना कलां निरस्त करने।

उपस्थिति: 1.श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट
2.रेस्पोन्डेट संख्या 1 एक पक्षीय।
3.रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 2,3,4 के अधिवक्ता श्री भरत कुमार उपस्थित।
4.सरकारी पेरोकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 07.02.2024**

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टस के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम डायलाना कलां तहसील देसूरी स्थित अराजियात कृषि भूमी खसरा नम्बर क्रमशः193,194,431,432,433,435,436,

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

437,438,442 कुल रकबा 14.63 हैक्टयर की भूमी में अपीलान्ट संख्या 1 के ससूर, अपीलान्ट संख्या 2 के दादा एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2,3 व 4 के पिताजी पीथा पुत्र भीकाजी की खातेदारी का कब्जा एवं कास्त शुदा सह खातेदारी का हिस्सा आता था। अपीलान्ट के ससूर/दादा पीथा की मृत्यु दिनांक 13.10.2015 को होने से उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमी में उनके विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) का फोतेदगी नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रम संख्या एवं दिनांक 1212 दिनांक 23.11.2018 को हल्का पटवारी डायलाना कलां द्वारा दायर किया गया जो नामान्तकरण भू अभिलेख निरीक्षक, नाडोल द्वारा जांच (मिलान) कर अंकन पत्रो से तुलना की व उसके बाद स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1212 दिनांक 20.12.2018 को स्वीकृत किया गया।

अपीलान्ट का कथन हैं कि उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण बिना किसी जांच किये गये विधि विरूद्ध भरा गया, जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के हैं। मृतक पीथा पुत्र भीका के स्थान पर फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय उनके वारिसान उनके पुत्र मृतक पेमाराम उर्फ प्रेमजी के वारिसानो का इन्द्राज गलत किया है। मृतक पेमाराम उर्फ प्रेमजी की पत्नी अपीलान्ट सं. 01 पोकरी है जबकि पोकरी को स्वर्गीय पीथा की पत्नी बताकर पोकरी पत्नी पीथा दर्ज किया जो गलत है तथा पेमाराम उर्फ प्रेमजी के पुत्र योगेश का नाम म्यूटेशन में नहीं आया है जबकि योगेश स्व. पेमाराम उर्फ प्रेमजी का पुत्र है तथा स्व. पीथा का पोत्र लगता हैं जो मृतक पीथा का विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) है। जिससे उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम पोकरी पत्नी स्व. पेमाराम उर्फ प्रेमजी दर्ज कर नाम दुरूस्ती किया जावे एवं अपीलान्ट संख्या 2 योगेश का नाम नामान्तरकरण में जोडा जावे यानि योगेश पुत्र पेमाराम उर्फ प्रेमजी दर्ज करावे तथा हिस्से बाबत भी दुरूस्ती की जावे। जिससे पुनः नये सिरे से उक्त नामान्तरकरण भरा जाकर अपीलान्ट का नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वर्णित खसरा नम्बरान का आराजी में से बेचान होने से उनके अलग–अलग खाता नम्बर बने जो खाता संख्या नया 468 व पुराना 177 जिससे खसरा नम्बर क्रमशः 193,194 कुल रकबा 5.66 हैक्टर लगान रूपये185.9000 एवं खाता संख्या नया 177 व पुराना 158 खसरा नम्बर क्रमशः 431,432,433,435,436,437,438,442 कुल रकबा 8.97 हैक्टर लगान 329. 5000 पडे है।उक्त दोनो खातो में नाम अपीलान्ट संख्या 1 के बाबत सुधार व अपीलान्ट संख्या 2 योगेश का नाम जोडा जाना व हिस्से बाबत दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है। प्रमाण स्वरूप नामान्तरकरण संख्या 1212 की नकल एवं दोनो खाता की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की नकल एवं पीथा एवं पीथा की पत्नी जतनो का मृत्यु प्रमाण–पत्र की कोपी अपील के साथ पेश की है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा बिना किसी जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। जिससे अपीलान्ट अपने

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

विधिक हक अधिकारो से वंचित हो रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गहन जांच किये बिना ही राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया हैं जो कानून के सर्वथा विपरित है, जो नामान्तरकरण काबिज निरस्त के है।

अपीलान्ट को अपने नाम बाबत संदेह होने पर ई–मित्र ऑनलाईन नामान्तरकरण एवं नई जमाबन्दियों की नकले दिनांक 24.06.2022 को प्राप्त की जिस पर अपीलान्ट नम्बर 1 का नाम गलत दर्ज होने व अपीलान्ट संख्या 2 का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं होने व हिस्से बाबत गडबड होने की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को हस्ब धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत देरी को कन्डोन करने की इस्त दुआ करते हुए दिनांक 24.06.2022 से मियाद 30 रोज के अन्दर–अन्दर न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्टस संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से भूमीधारी होने से इस अपील में पक्षकार बनाया गया हैं।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में निवेदन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी को हस्ब धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाई जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मृतक पीथा पुत्र भीका के वारिसानों के नाम से भरा गया फौतेदगी नामान्तरकरण संख्सा 1212 स्वीकृति दिनांक 20.12.2018 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से जांच कर अपीलान्ट संख्या 1 का नाम पोकरी पत्नी पीथा के बजाय पोकरी पत्नी प्रेमजी दर्ज करावे एवं अपीलान्ट संख्या 2 योगेश पुत्र प्रेमजी का नाम इन्द्राज कर हिस्से बाबत जांच कर फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 2,3 व 4 की ओर से अपील का इकबालिया जबाव दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सही होने से स्वीकार फरमाई जावे जिससे रेस्पोडेन्टस संख्या 2,3 व 4 को कोई उज्र आपत्ति नहीं है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटीस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 बावजूद नोटीस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 10.04.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2,3 व 4 मृतक पीथा पुत्र भीकाजी के विधिक वारिसान (उत्तराधिकारी) है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा भरा गया फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1212 स्वीकृत दिनांक 20.12.2018 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये,बिना जांच के, बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध गलत रूप से स्वीकृत किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट संख्या 1 का नाम पोकरी पत्नी पीथा के बजाय पोकरी पत्नी प्रेमजी दर्ज करना था, एवं अपीलान्ट संख्या 2 योगेश पुत्र प्रेमजी का नाम इन्द्राज करना था एवं हिस्से बाबत जांच कर फौतेदगी नामान्तरकरण भरना था जो नहीं किया गया।

अतः प्रस्तुत अपील को पेश करने में हुई देरी को म्याद में शुमार हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन की जाकर अपील अपीलान्ट

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

स्वीकार की जाती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा ग्राम डायलाना कलां का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1212 स्वीकृति दिनांक 20.12.2018 अपास्त किया जाता है।

तहसीलदार देसूरी को निर्णय की सत्यापित प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 पोकरी पत्नी पीथा के बजाय पोकरी पत्नी पेमाराम उर्फ प्रेमजी दर्ज करने एवं अपीलान्ट सं. 02 योगेश पुत्र पेमाराम उर्फ प्रेमजी जातिगण सिरवी निवासीगण डायलाना कलां दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, एवं रेकर्ड में हिस्से सम्बन्धि त्रुटी हो तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की सुनवाई कर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

भागीरथराम (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner